राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./(एफ–388)/2018 दिनांक :

आदेश

श्री करनी सिंह पुत्र श्री देवी सिंह निवासी– पण्डितजी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर (राज0) ने अभ्यावदन दिनांक 27.10.2017 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन न0 13506/2015 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को सही मानते हुये प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में शामिल कर प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 निम्न प्रकार से है

The writ petition is therefore, allowed. The petitioner is held entitled for appointment on the post of Lab Assistant.

The respondent No.4 Chief Medical & Health Officer (CMHO), Jodhpur is directed to counter sign the certificate dated 29.07.2013 already issued in petitioner's favour or issue a fresh certificate to the petitioner, of-course in accordance with service rendered by him.

The respondent No.3 shall consider petitioner's candidature on the post of Lab Assistant and issue an order of appointment, if the petitioner is otherwise found eligible and meritorious. Needful be done within a period of two months from today.

श्री करनी सिंह पुत्र श्री देवी सिंह ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 में प्रयोगशाला सहायक पद हेतु अनारक्षित वर्ग में (आईडी कमांक 17120002981)आवेदन किया है। याचि/अभ्यार्थी द्वारा तकनीकी योग्यता के कॉलम में पैरामेडिकल कौंसिल मोहाली, पंजाब अंकित किया हुआ है जबकि पद की कौंसलिग के समय याचि/अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान मेडिकल टेक्नीकल ट्रेनिंग इन्सीट्यूट जोधपुर से जारी 9 माह का मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नीशियन कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं होने के कारण चयन समिति ने मान्य नही किया है। अभ्यर्थी/याचि का सैकण्डरी प्राप्तांक 57.82 प्रतिशत है। जिसका 85 प्रतिशत वैटेज 49.14 प्रतिशत होता है। याचि/अभ्यर्थी ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ओसीया(जोधपुर) के प्रति हस्ताक्षर से जारी दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक(कुल कार्यअवधि 1वर्ष) लैब टेक्नीशियन पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत है जो विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 8(II) के अनुसार विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही होने से चयन समिति ने मान्य नही किया है। अतः याचि/अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक पद की निर्धारित तकनीकी योग्यता को पूर्ण नहीं करने के कारण चयन का पात्र नहीं था।

स्थाई समिति के द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशना संख्या 13506/2015 में पारित आदेश 10.10.2017 के संबंध में नोअपील का निर्णय लिये जाने के कारण याचि के अनुभव प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात स्वीकार करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाना है। याचि के द्वारा माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत नही किया है फिर भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करने पर एक वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी की तकनीकी योग्यता में सम्मिलित करने के फलस्वरूप

अभ्यर्थी/याचि का औसत प्राप्तांक 49.14 प्रतिशत बनता है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 2900/2016 मांगीलाल व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 13920/2015 श्री नरेन्द्र कुमार जोशी व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.16 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 578/2016 प्रदीप सिंह बनाम राज सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 की पालना में पूरक परीक्षा में वास्तविक अंको को जोडने के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप अनारक्षित वर्ग की अन्तिम कटऑफ 48.69 के स्थान पर 49.31 प्रतिशत रही है। अभ्यर्थी/याचि श्री करनी सिंह पुत्र श्री देवी सिंह का औसत प्राप्तांक 49.14 प्रतिशत होने के कारण वरियता के आधार पर चयन सूची में स्थान बनाने में असफल रहे है।

अतः अभ्यर्थी/याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.10.2017 को अस्वीकार कर एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./(एफ–388)/2018/399 दिनांक : 1/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री करनी सिंह पुत्र श्री देवी सिंह निवासी– पण्डितजी की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर (राज0)
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर